

17/07/2019

# भारतीय गैर न्यायिक

## एक सौ रुपये

## Rs. 100

ONE

HUNDRED RUPEES


वरिष्ठ कोषाधिकारी

22 APR 2019




सत्यमेव जयते

भारत INDIA  
INDIA NON JUDICIAL



उत्तर प्रदेश UT

EV 568155



### बिष्णु विकास संस्था

(ग्राम धुन्धपुर (अनौनी) पोस्ट सौना, जिला—गाजीपुर)

न्यास विलेख (Instrument of Trust)

यह न्यास विलेख आज दिनांक 30.04.2019 को श्रीमती सुमन पाण्डेय पत्नी श्री विद्याधर पाण्डेय उम्र 35 वर्ष स्थायी निवासी ग्राम धुन्धपुर (अनौनी) पोस्ट सौना, तहसील सैदपुर, जिला गाजीपुर द्वारा धोषित किया गया है, जिन्हे आगे न्यासकर्ता/संस्थापक कहा जायेगा क्योंकि न्यासकर्ता संस्थापक पर 10000/- रुपये की राशि है जिसे कि पुरुषार्थ एवं सामाजिक कार्यों हेतु दान देने की इच्छा करते है। न्यासकर्ता/संस्थापक उत्थान हेतु सामाजिक सास्कृतिक भौगोलिक आदि दृष्टिकोण के आधार पर संस्था हित जनहित समाजहित को ध्यान को रखते हुए शिक्षा क्षेत्र के साथ अन्य क्षेत्रों जैसे प्राविधिक उच्च चिकित्सा व्यवसायिक, आदि क्षेत्र में विशेष रूप से कार्य करेगा। जिसको आगे संक्षित में द्रस्ट भी कहा जायेगा। क्योंकि द्रस्ट का न्यासकर्ता मैनेजिंग द्रस्टी होगा। जिसे कि आगे द्रस्ट का अध्यक्ष कहा जा सकेगा। न्यासकर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि व विभिन्न क्षेत्रों में से दान उपहार ऋण आदि भी सम्मिलित है। जिसके द्वारा द्रस्ट के कोष सम्पदा एवं साधनों को बढ़ावे ताके





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EV 568156

ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके, और न्यासकर्ता/संस्थापक में अपनी इच्छा के अनुकूल 10000/दस हजार रुपये की नगद धनराषि ट्रस्ट को प्रदान की है क्योंकि वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकृत कार्य ग्राम धुन्धपुर (अनौनी) पो० सौना, तहसील सैदपुर जिला गाजीपुर में एवं अपनी इच्छानुसार अधिक सुविधा जनक स्थान मिलने पर इस कार्यालय को समय-समय पर उचित स्थान पर स्थान्तरित किया जा सके। क्योंकि न्यासकर्ता/ट्रस्टी / अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार धारा बद्ध घोषित किया

### बिष्णु विकास संस्था

(ग्राम धुन्धपुर (अनौनी) पोस्ट सौना, जिला—गाजीपुर)



(इंडिया ट्रस्ट की धारा एक्ट 1882 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)  
उद्देश्य एवं नियमावली –

ट्रस्ट के उद्देश्यः— ट्रस्ट के निम्नलिखित उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करेगा।

1. राष्ट्रीय भावनाओं के विकासार्थ शिविरों, प्रशिक्षणों एवं राष्ट्रीय त्यवहारों एवं पौढ़ शिक्षा का आयोजन करना।



भारतीय गैर-न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE

HUNDRED RUPEES

वरिष्ठ कोषाधिकारी

22 APR 2019

गाजीपुर



प्रत्येक जयते

भारत INDIA

NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EV 568157

2. भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार से अर्थिक मदद लेकर उस्तकालय एवं वाचनालयों, बौद्ध बिहार आश्रम एवं मठोंकी स्थापना करना।
3. जगह-जगह बौद्ध संगिति शिविरों, प्रशिक्षण, बाल शिक्षा, एवं युवा शिक्षा एवं महोत्सव का का आयोजन करना।
4. समता मूलक समाज की स्थापना और इसे बनाये रखने के लिए सन्तों-गुरुओं, महापुरुषों कि जयन्ती/समारोह एवं गोष्ठी प्रचार-प्रसार एवं समारोह करना।
5. बुद्धधर्म का उद्देश्य, देश एवं जगत का नवनिर्माण करने में योगदान करना।
6. समाजिक अर्थिक असमानताओं को चुनौती देने लिए एक आत्मनिर्भरता लक्ष्य की ओर समाज के कमज़ोर वर्गों का सक्षम बनाने का प्रयास करना।
7. समाज में व्याप्त नशाखोरी, दहेज उत्पीड़न की बुराई को दुर करना, जो सभी वर्गों के लिए कार्य किया जायेगा।
8. बिना लिंग भेद किए हुए सबके लिए प्राथमिक पाठशाला, जूनियर हाईस्कूल, इण्टरमिडिएट महाविद्यालय विधि महाविद्यालय, पी0जी0 कालेज, बी0एड0, बी0पी0एड0 डी0ई0एल0ईडी0, बी0ई0एल0ईडी0 शिक्षा संकाय, पुस्तकालयों, वाचनालयों, प्रयोगशालाओं, चिकित्सालयों, अलाथालयों, वृद्धाश्रमों, अनुसंधान केन्द्र, छात्रावास, कम्प्यूटर केन्द्रों निश्चितों सामुदायिक विकास, केन्द्रों सर्वेक्षण केन्द्रों केन्द्रों पर्यावरण, ऐडस उत्थान केन्द्रों की स्थापना नामकरण विकास सम्बद्ध आबद्ध प्रबन्ध संचालित आदि कर सकता है तथा आवश्यकता होने पर विभिन्न परिषदों विभागों प्रतिष्ठानों, संस्थानों शासन आदि से उन्हे सम्बद्ध आबद्ध पंजीकृत अनुमोदित स्वीकृत करना। बी0टी0सी0 एवं बी0एड0 शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना।
9. ग्राम विकास एवं शिक्षण कार्यक्रम संचालित करना।



Page 3 of 18





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BV 758148

10. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की संस्थापना एवं संचालन करना।
11. कृषिकार्य हेतु बंजर भूमि सुधार एवं कटाव रोककर जल संरक्षण एवं नमी का संरक्षण करना।
12. उद्यानीकरण एवं जंगल आदि का विकास करना।
13. महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य सहयोग हेतु विधिक कार्यक्रम संचालित करना।
14. प्रतियोगात्मक परीक्षाओं की तैयारी हेतु संस्थाओं की स्थापना करना।
15. कृषि संगीत सम्बन्धित आदि विषयों की शिक्षा तथा उसके विकास हेतु संस्थान की स्थापना करना।
16. किसी भी सामान (तरल एवं ठोस) की खरीद एवं बिक्री करना।
17. पत्थर एवं सभी प्रकार के खनन का कार्य कराकर भूमि को उपजाऊ योग्य बनाना।
18. ट्रस्ट के माध्यम से जीवन बीमा एवं सामान्य बीमा का कार्य कराकर भारत सरकार का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करना एवं लोगों को बीमा से लाभान्वित करना।
19. उपहार के वस्तुओं को निर्माण एवं विक्रय कार्य करना, कबाड़ की सामानों को इकट्ठा करके फर्निस भट्ठियों का निर्माण करके उसको गलाकर वातावरण को दूषित होने से बचाना पर्यावरण का सुरक्षा करना, ट्रस्ट का सर्वोत्तम कार्य होगा, जो कि मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी कार्य है।
20. केन्द्र सरकार के सभी विभागों एवं मानव संसाधन समाज कल्याण नवार्ड, कपार्ड, सामाजिक, न्यास एवं आधिकारिता मंत्रालय एवं समाज कल्याण एवं सलाहकार्य बोर्ड



# आरतीय जेर न्यायिक

पवास  
रपवे



## उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BV 758149

महिला कल्याण नेहरु युवा केन्द्र खेलफूट, युवा कल्याण मंत्रालय, ग्राम विकास मंत्रालय, आदि सभी विभागों के कार्यों का संचालन करना।

21. आईटी0आई0, पॉलिटेनिक, इंजिनियरिंग प्रबन्धन फर्मसी, नर्स ड्रेनिंग अपरेटर, टेक्निशियन, लैंब टेक्निशियन, फिजियोथेरेपी, आदि भेडिकल कालेजों की स्थापना एवं संचालन करना।

22. समाज के लोगों के लिए हासिलत, नर्सिंग होम स्वास्थ्य केन्द्र भेडिकल स्टोर, किरणा की डुफान, फोटोस्टेट, टाइपिंग कम्पनी, फर्म आदि की व्यवस्था करना।

23. पुस्तकालय वाचनालय पत्र पत्रिकाओं समाचार पत्रों इत्यादि का प्रशासन मुद्रण विक्री एवं मूल्य का निर्धारण करना।

24. अन्य, ग्रूपों बहरे, असहाय लोगों के लिए शिक्षा, विकेत्सा, आवास, भोजन की व्यवस्था करना, जल संरक्षण य विधालय संचालित करना य उनके पुर्यास के लिए समर्पण व्यवस्था करना।

25. विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों तथा व्यवहारिक प्रयोगिक कला वाणिज्यिक वैज्ञानिक, क्रीड़ा, मार्सल आर्ट, संगीत, तकनीकी सामाजिक अध्युक्ति भाषा, डर्ड, अंग्रेजी कम्प्यूटर प्रोफेशनल, आदि विषयों का विभिन्न स्तर पर शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना।

26. विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धाओं में छात्र/छात्राओं को सफल बनाकर स्थालम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन अध्यापन आवास आदि सुविधाओं का प्रबन्ध करना।



भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

₹.50

भारत

FIFTY  
RUPEES

वारिष्ठ क्रमांकारी

22 APR 2019

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BV 758150

27. सहित्यिक पुस्तकों, पत्रों, पाठ्यक्रमों आदि का सृजन, संपादन, प्रकाशन, मुद्रण एवं वितरण कार्य कर सकना।
28. सांस्कृतिक पर्यावरण एवं एड्स व अधिवेशन गोष्ठियों, सम्मेलन, प्रतियोगिताओं, बैठकों विशेष कक्षाएं सत्र प्रोत्साहन आदि कार्यक्रम आयोजित कर सकना।
29. भण्डार गृहों का निर्माण कर अनाजों, फलों का भण्डारण करना तथा उनका क्रय-विक्रय करना।
30. शीत गृहों का निर्माण कर किसानों के फल, सब्जी, आलू, प्याज, की सुरक्षा प्रदान करना।
31. किसानों को खसरा, खतौनी, इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना।
32. बैंकिंग का कार्य करना, लोगों का पैसा जमाकरा कर उनको अच्छा रीटर्न देना, उनके पैसों को सुरक्षा प्रदान करना, समय-समय पर गृह ऋण, मोटरगाड़ी हेतु ऋण एवं रोजगार करने हेतु ऋण उपलब्ध कराना।
33. सिलाई, कढाई, बुनाई, स्क्रीन प्रिन्टिंग आदि शिक्षा हेतु शिक्षण-प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करना।
34. व्यक्ति विशेष, अन्य सोसाइटी द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों मेडिकल कालेजों, इंजिनियरिंग कालेज, आई0टी0आई0 कालेजों को अपने द्रस्ट द्वारा संचालित कराना उनको इस द्रस्ट में समायोजित कर सकना।



भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

₹.50

भारत

FIFTY

वारस्ता क्रमांकारी

22 APR 2019

Rs.50


INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BV 758151

35. द्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति विभिन्न राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों संस्थाओं तथा व्यक्तिओं से अर्थिक सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना।
36. विधि सम्मति उपयोगी जानकारी का प्रचार एवं प्रसार कर सकना।
37. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार प्रसार कर सकना।
38. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास करना एवं पर्यावरण सुधार के लिए जानकारी देना एवं जल बचाव से सम्बन्धित सेमिनार करना।
39. एड्स के बारे में जन जागरण हेतु प्रचार प्रसार करना।
40. द्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओं के समुचित शुल्क/मुल्य निर्धारण कर प्राप्त करना।
41. पत्राचार द्वारा अध्ययन अध्यापन को प्रोत्साहित कर सकना तथा तत्सविधिक आवश्यक व्यवस्थायें कर सकना।
42. उपभोक्ता अधिकार, पर्यावरण सुधार, उसर सुधार, जैसे सामाजिक दायित्वों के विषयों पर जन चेतना जागृत करने हेतु कार्य कर सकना।
43. डाक्टर, इंजिनियर, कारपेन्टर, फीटर, वेल्डर, मजदूर को प्रशिक्षण प्रदान करके उनको विदेश जाने के लिए कार्य कराना, जिससे उनको रोजगार मिल सके एवं देश का विकास हो सके।
44. कुटीर लघु उद्योगों के माध्यम से असहाय तथा गरीब लोगों को रोजगार देना जिससे वह अपना जीवन यापन कर सकें।






उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BV 758152

45. किसानों का उन्नतशील बीजों कीटनाशक दवाओं तथा नये-नये औजारों को सस्ते दरों में उपलब्ध कराना।
46. समय-समय पर किसानों संगोष्ठी का आयोजन कर उनको जागरूक करना।
47. किसानों को रायायनिक खादों, (डाई, यूरिया, पोटास जिंक, फास्फेट, कार्बनिक खाद, कप्पोस्ट खाद) इत्यादि को समय-समय पर उपलब्ध कराकर उनको लाभान्वित करना।
48. धार्मिक स्थलों का निर्माण व जिर्णोद्धार कर सकना।
49. जन कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन एवं क्रियान्वयन कर सकना।
50. विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति, पुरस्कार सहायता एवं वित्तीय सहायक, स्मृति विन्ह आदि प्रदान कर सकना।
51. ट्रस्ट के कोष एवं सम्पदा में बृद्धि करना, विनियोजन करना तथा उनका ट्रस्ट के उद्देश्य में प्रयोग करना।
52. ट्रस्ट जन सामान्य के हित में कार्य करेगा। ट्रस्ट यथासम्भव अपनी उत्पादित वस्तुएँ लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा। ट्रस्ट द्वारा जनहित में सङ्क, खड़न्जा, तालाबों का निर्माण कर मछली पालन, पशु पालन, तथा मधुमक्खी पालन आदि प्रचार प्रसार करेगा।
53. अन्य सोसाइटी अथवा ट्रस्ट को समायोजित कर सकना।
54. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एवं उत्तर प्रदेश कौशल विकास योजना।





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BV 758153


55. द्रस्ट अपने उद्देश्य पूर्ति हेतु जन कल्याण एवं राष्ट्रकल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वयन करेगा।
56. द्रस्ट अपने समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में द्रस्ट के उद्देदष्यों की पूर्ति के लिए ही व्यय करेगा।
57. सस्ते दरों पर लोगों को सब्जी तथा फल उपलब्ध कराना।
58. लागों को दो पहिया, चारपहिया एवं हैवी वाहन अपनी एजेंसी के माध्यम से सस्ते दरों पर उपलब्ध कराना जिससे कम लागत पर लोगों को वाहन उपलब्ध हो सके।
59. विभिन्न संस्थाओं/विद्यालयों/महाविद्यालयों/मेडिकल कालेजों/इंजिनियरिंग कालेजों के विशेषाधिकार प्राप्त करना तथा अपने विशेषाधिकार अन्य को प्रदान करना एवं संचालित करना।

## 2. प्रारम्भिक उपबन्ध:-

1. वर्तमान में द्रस्ट डीड के पंजीकृत के दिनांक से श्रीमती सुमन पाण्डेय पत्नी श्री विद्याधर पाण्डेय को इस द्रस्ट का मैनेजिंग द्रस्टी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है।
2. यदि कोई अन्य व्यवस्था वर्तमान मैनेजिंग द्रस्टी अध्यक्ष श्रीमती सुमन पाण्डेय पत्नी श्री विद्याधर पाण्डेय द्वारा रजिस्टर के यहाँ रजिस्ट्री कर सुनिश्चित न की जाय तो वरिष्ठता क्रम में उत्तराधिकारी द्रस्ट के द्रस्टी होंगे।



भारतीय गैर न्यायिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BV 758154


3. वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही जब चाहे अपना उत्तराधित्व अपने उत्तराधिकारियों को स्थानान्तरित कर सकता है।

**3. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद का उत्तराधिकारी/स्थानान्तरण :-**

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का उत्तराधिकारी हमारे पुत्र अभिषेक पाण्डेय होंगे।
2. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का पद किसी को प्रदान कर सकता है।
3. किसी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेगें जो इस ट्रस्टी डीड के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को प्रदत्त किये गये हैं।
4. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड कराके अथवा अपनी वसीयत द्वारा ही यह सुनिश्चित कर सकता है कि अपने जीवन काल के उत्तरार्ध में की गयी वसीयत/इच्छा/व्यवस्था ही अन्तिम रूप से मान्य होगी।
5. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण माना जायेगा।

**4. बोर्ड आफ ट्रस्टीज़:-**





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BV 758155

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यदि उचित समझे तो विषयों पर विचार विमर्श एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है जिसमें कि अधिकतम 21 सदस्य होंगे।
2. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनित करते समय उसका कार्यकाल नष्ट करेगा। ट्रस्टी की कार्यावधि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा पर निर्भर करती तथा मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व बिना किसी को कोई कारण बताये ट्रस्टी के पद से हटा सकता है।
3. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष जब भी उचित समझे बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुला सकता है जिसकी अध्यक्ष ट्रस्टी स्वयं करेगा।
4. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज उन्हीं विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा, जिनको मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा किये गये किसी भी सुझाव को मानना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है, इस सन्दर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा।

#### 5. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का कार्यकाल एवं सुविधाएः—



भारतीय गैर-न्यायिक

पचास  
रुपये

₹.50

भारत

FIFTY

वरिष्ठ कोषाधिकारी  
RUPEES

22 APR 2019

सामग्री  
प्राप्ति पुराणा  
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BV 758156

1. यह कि द्रस्टी/अध्यक्ष के द्वारा विभिन्न सुविधाओं से युक्त कार्यालय एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इन सुविधाओं के स्तर को सुनिश्चित करने में मैनेजिंग द्रस्टी/अध्यक्ष का निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा।
2. यह कि द्रस्टी/अध्यक्ष अपना उत्तरदायित्व वहन करने हेतु द्रस्टी से मासिक मानदेय/भत्ते आदि पर कोई आयकर लगाता है तो द्रस्टी/अध्यक्ष द्रस्ट द्वारा आय से ही आयकर का भुगतान करेगा।

#### 6. कार्य क्षेत्र :-

द्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत होगा जिसमें सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष से सहायता/अनुदान एवं परामर्श प्राप्त कर सकता है अथवा दे सकता है।

#### 7. मैनेजिंग द्रस्टी/अध्यक्ष के विशेषाधिकार:-

मैनेजिंग द्रस्टी/अध्यक्ष को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह द्रस्टी के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी कँर्मचारी द्वारा लिए गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत संशोधित कर सकता है। मैनेजिंग द्रस्टी/अध्यक्ष के कार्य-कालापों में, किसी भी स्तर पर कोई भी दिशा निर्देश दे सकता है जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार होगा।





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


BV 758157

#### 8. उपाध्यक्ष की नियुक्ति:-

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने एवं देखभाल करने के लिए ट्रस्ट एक उपाध्यक्ष एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर सकेगा।
2. यह कि उपाध्यक्ष मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रदान पर्यन्त कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय बिना कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तिओं के विरुद्ध प्रशासनिक विधि/अनुशासनात्मक/प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है, अथवा पक्षों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है।

#### 9. सचिव की नियुक्ति:-

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्टी के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने एवं देखभाल करने के लिए ट्रस्ट के लिए एक सचिव एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उपसचिवों की नियुक्ति कर सकेगा।
2. यह कि उक्त सचिव के बेतन, भत्ते, सुविधाएं, कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेंगे।
3. यह कि सचिव/उपसचिव मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे। मैनेजिंग/अध्यक्ष किसी भी समय बिना कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तिओं के



भारतीय गैर न्यायिक

पचास

रुपये

₹.50

FIFTY  
RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BV 749478

विरुद्ध / प्रशासनिक विधि / अनुशासनात्मक / प्रशासनात्मक कार्य वाही कर सकता है, अथवा पक्षों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तिर / प्रदान कर सकता है।


#### 10. अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य:-

यह कि इस ट्रस्ट डीड के अन्तर्गत ट्रस्टी / अध्यक्ष को प्राप्त बिभिन्न अधिकार एवं कर्तव्य के अतिरिक्त ट्रस्टी / अध्यक्ष के निम्न अधिकार एवं कर्तव्य भी होगे।

- बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना।
- इस ट्रस्ट डीड में उल्लेखित ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं नियमावली में संशोधन / परिवर्तन कर सकना जो कि रजिस्टर के यहाँ रजिस्ट्रीकृत होने की दिनांक से मान्य।
- मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष के अनुपस्थिति में सारे कार्य की देखरेख उपाध्यक्ष करेगा। आफिस विस्तार के लिए अध्यक्ष और सचिव और उपसचिव नियुक्त कर सकता है।

#### 11. बैंक एकाउन्ट:-

- ट्रस्ट का खाता किसी भी बैंक में खोला जा सकेगा। मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष स्वयं अथवा उसके द्वारा हेतु अधिकृत मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोल सकता है, तथा संचालन कर सकता है।
- ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय / महाविद्यालय / सरथा / केन्द्र / कार्यक्रम इकाई कार्यालय का स्थाक नाम से बैंक



भारतीय गैर-न्यायिक

पचास  
रुपये  
₹.50

FIFTY

वरिष्ठ कामधक्करी  
RUPEES

02 APR 2019

Rs 50  
गोप्ता

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BV 756135

खाता खोला या संचालित किया जा सकता है, इस स्थिति में स्वयं या ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोल सकता एवं संचालित किया जा सकता है।

### 12. विधिक कार्यवाही:-


यदि संस्था ट्रस्ट के तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही होती तो सचिव अध्यक्ष के अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी अथवा किसी को अधिकृत कर सकता है।

### 13. सम्पत्ति सम्बन्धी:-

1. ट्रस्ट चल-अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकार रखता है जो कि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त होता है।
2. ट्रस्ट की ओर से चल-अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई निर्णय लेने/लेख-विलेख बनाने हेतु अध्यक्ष किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।
3. ट्रस्ट किसी से ऋण, दान, उपहार, अनुग्रह भेट, सम्मान पुरस्कार, स्मृति चिन्ह, मानदेय, आदि प्राप्त कर सकता है अथवा देख सकता है।
4. ट्रस्ट धन को कही भी विनियोजित कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है। किसी बैंक बैंक संस्था, कम्पनी आदि की किसी योजना के धन/सम्पत्ति का विनियोजन कर सकता है।



भारतीय गैर न्यायिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BV 756136

5. चल एवं अचल सम्पत्तियों के क्रय विक्रय के दौरान ट्रस्टी/अध्यक्ष एवं अध्यक्ष द्वारा नामित किये गये व्यक्ति को होगा।
6. वर्तमान में ट्रस्ट के पास 10000/- (दस हजार रुपये) की पुंजी से स्थापना हुई है। जिस पर नियमानुसार मु0 1050/- रुपये का स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है। उक्त पुंजी के अलावा अन्य कोई सम्पत्ति ट्रस्ट के पास नहीं है।

#### 14— विशेष:-

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव तीनों मिलकर कोई भी निर्णय ले सकते हैं, जो कि सर्व-मान्य होगा।

क्र0 सं0	नाम	पिता का नाम	पद	पुरा पता
1	प्रशान्त सिंह	इन्द्रसेन सिंह	उपाध्यक्ष	ग्राम गोरखा पो0 गौरी जिला गाजीपुर
2	अभिषेक पाण्डेय	विद्याधर पाण्डेय	सचिव	ग्राम धुन्धपुर (अनौनी) पो0 सौना जिला गाजीपुर

